

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

संख्या- 4005 / 96-आयुष-1-17-345 / 2016

आयुष अनुभाग-1

विषय:-कम्बाइन्ड प्री आयुष टेस्ट 2017 के आधार पर प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में यू0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में।

लखनऊ :

दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

महोदय,

कम्बाइन्ड प्री आयुष टेस्ट 2017 के आधार पर प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में यू0जी0-कोर्स में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम, काउंसिलिंग स्थल, काउंसिलिंग कमेटी का स्वरूप निर्धारित किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या-3957/96-आयुष-1-17-345/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के क्रम में प्रोफेसर नवीन के खरे, स्टेट को-आर्डिनेटर सीपीएटी-2017 के पत्र दिनांक 12.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में पुनर्विचारोपरान्त काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होने के संबंध में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-


(1) संशोधित काउंसिलिंग कार्यक्रम

आनलाइन रजिस्ट्रेशन	
आनलाइन विकल्प भरने की तिथि	13.10.2017 से 15.10.2017 तक
प्रथम चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन	13.10.2017 से 16.10.2017 तक
प्रथम चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट का सत्यापन	17.10.2017
द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन	22.10.2017 से 24.10.2017 तक
द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट का सत्यापन	25.10.2017
मॉप-अप काउंसिलिंग	26.10.2017 से 27.10.2017 तक
	29.10.2017 से 31.10.2017

(3) मेडिकल बोर्ड का गठन व स्थान

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन के0जी0एम0यू0 लखनऊ में किया जायेगा। सी0पी0ए0टी0 2017 के दिव्यांग अभ्यर्थी गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिनांक 22.10.2017 को उपस्थित होंगे तथा दिनांक 23.10.2017 को काउंसिलिंग हेतु सेन्टर पर रिपोर्ट करेंगे।

3- काउन्सिलिंग के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 12.10.2017 की शेष प्रक्रिया एवं स्वरूप यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या- 4005(1)/96-आयुष-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रो० नवीन के खरे, स्टेट को-ऑर्डिनेटर सी०पी०ए०टी०-2017, डिपार्टमेन्ट आफ केमेस्ट्री, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सी०पी०ए०टी०-2017 के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु के०जी०एम०यू० लखनऊ में मेडिकल बोर्ड का गठन करने का कष्ट करें जिससे दिव्यांग अभ्यर्थी दिनांक 22.10.2017 को उक्त बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो सकें।
- 3- निदेशक आयुर्वेद सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक आयुर्वेद (पाठक्रम एवं मूल्यांकन), उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, यूनानी सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, होम्योपैथिक विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 8- समस्त राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)
- 9- प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद/राजकीय तकमील उल्लिब कालेज, लखनऊ। (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवाएं)
- 10- समस्त राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक होम्योपैथ)
- 11- समस्त निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)
- 12- समस्त निजी क्षेत्र के यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवाएं)
- 13- समस्त निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक होम्योपैथ)
- 14- डा० एस०एन०सिंह, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, वाराणसी। (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)
- 15- डा० अरविन्द कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य, प० जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथ मेडिकल कालेज, लखनपुर कानपुर। (द्वारा निदेशक होम्योपैथ)
- 16- डा० डी०के०मौर्य, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर। (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)
- 17- श्री यतीन्द्र मोहन, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 18- श्री लक्ष्मण सिंह अनु सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 19- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्रभार), आयुष विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 20- सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सी०पी०आई०एम०), भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, जनकपुरी, बी ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 21- सचिव, सेन्ट्रल काउन्सिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली।
- 22- आयुष अनुभाग-2
- 23- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव